सं.31011/3/2018-स्था.(ए-IV)
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना (ए-IV) डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक 20 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 - उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार के भ्रमण हेतु हवाई जहाज से यात्रा करने में छूट को 25.09.2018 से आगे बढ़ाना।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/3/2014-स्था.(ए-IV) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 में रियायत देते हुए सरकारी कर्मचारियों को उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की हवाई यात्रा की अनुमति देने वाली स्कीम को निम्नलिखित अनुसार 26 सितम्बर, 2016 से दो वर्ष की अवधि के लिए 25 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया हैः

(i) गृह नगर की अवकाश यात्रा रियायत के एवज में उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार जाने के लिए अवकाश यात्रा रियायत।

(ii) गैर-हकदार सरकारी कर्मचारियों को उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार जाने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा।

(iii) निजी एयरलाइन्स द्वारा जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र और अंडमान-निकोबार की यात्रा करने की अनुमति।

2. उपर्युक्त विशेष राहत निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन होगीः

(i) सभी पात्र सरकारी कर्मचारी चार वर्ष के ब्लॉक की अपनी एक गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत का परिवर्तन कर उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार में किसी स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

(ii) ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका गृह नगर और मुख्यालय/तैनाती का स्थान एक ही है, उन्हें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

(iii) नवनियुक्त कार्मिकों को चार वर्ष के ब्लॉक में मिलने वाली तीन गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत में से एक को परिवर्तन कराने की अनुमति है।

(iv) जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के हकदार हैं, वे एल.टी.सी.-80 की अधिकतम किराया सीमा के अध्यधीन किसी भी एयरलाइन द्वारा अपनी हवाई यात्रा की हकदार श्रेणी में अपने मुख्यालय से इस रियायत का उपयोग कर सकते हैं।

(v) जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में एल.टी.सी.-80 की अधिकतम किराया सीमा के अध्यधीन किसी भी एयरलाइन द्वारा इकोनामी क्लास में हवाई यात्रा की अनुमति है-

(क) कोलकाता/गुवाहाटी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के किसी भी स्थान के बीच।

(ख) कोलकाता/चेन्नै/विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच।

(ग) दिल्ली/अमृतसर और जम्मू-कश्मीर के किसी भी स्थान के बीच।

ऐसे गैर-हकदार कर्मचारी अपने मुख्यालय से कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नै/भुवनेश्वर/दिल्ली/अमृतसर की यात्रा अपनी हकदारी के अनुसार करेंगे।

(vi) उपर्युक्त पैरा (iv) और (v) में उल्लेख किए गए अनुसार सरकारी कर्मचारियों को उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार की हवाई यात्रा की अनुमति है यदि वे भारत में कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत के बदले में या गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत के बदले में, रियायत का लाभ उठा रहे हों।

(vii) एल.टी.सी. यात्रा करने के लिए एयर टिकट सीधे एयरलाइन्स (बुकिंग काउन्टर, एयरलाइन्स की वेबसाइट) से अथवा प्राधिकृत ट्रेवल - एजेंटों नामतः मेसर्स बॉमर लॉरी एंड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रेवल एंड टूअर्स तथा आई.आर.सी.टी.सी. (जिस सीमा तक आई.आर.सी.टी.सी. को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.12.2009 के का.ज्ञा.सं. 31011/6/2002-स्था.(क) के अनुसार प्राधिकृत किया गया है) की सेवा का प्रयोग करते हुए खरीदे जाने हैं। अन्य एजेंसियों के माध्यम से टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं है तथा ऐसी एजेंसियों के माध्यम से टिकिट बुक करने के नियमों में छूट देने के किसी भी अनुरोध पर इस विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

3. सभी सरकारी कर्मचारियों को सबसे सस्ती दर पर एयर टिकट खरीदने के प्रयास करने चाहिए। सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने सभी कर्मचारियों को यह संज्ञान में लाने की सलाह दी जाती है कि एल.टी.सी. के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। एल.टी.सी. के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए मंत्रालयों/विभागों को कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई यात्रा टिकटों को हवाई यात्रा के वास्तविक मूल्य तथा पदधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई यात्रा टिकटों पर अंकित मूल्य के संबंध में एयरलाइन्स से यादृच्छिक रूप से सत्यापित करवाने की सलाह दी जाती है।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।

सूर्य ना। ना। झा
20.7.18

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय ।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को इस कार्यालय ज्ञापन के इस मंत्रालय की वेबसाइट कार्यालय ज्ञापन/आदेश → स्थापना → एल.टी.सी. नियम पर अपलोड करने के लिए]